

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) खण्डेला

उपनाम ..... धर्मपाल ..... बनाम ..... मोहनलाल वगैरे .....

किस्म मुकदमा दावा - हस्तगत रकम व स्वामी/अप मुकदमा नं. ET-108/2019 सन् 20 19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
08/08/19	वकील चादी जी राजेन्द्र उपाध्याय बर्मा ने हाजिर उपस्थित होकर वादपत्र पेश किया। दावा दर्ज (मजिस्ट्रेट किया जावे)। उतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06/09/19 को पेश है।	1448-53 3-8-19
06/09/19	पत्रावली पेश हुई। गकुलाराज उप. अनुमति/ पोडासीन अधिकारी को पत्रावली अन्य कार्य में व्यस्त। पत्रावली जा.नुसार आईन्दा दिनांक-27/09/19 को पेश है।	B
27/09/19	वकील चादी उप. उतिवादी सं. 10 की ओर से जवाब व दस्तावेज पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं पेशशुदा जवाब उतिवादी सं. 10 एवं दस्तावेजों का अक्लौकल किया गया। चूंकि हस्तगत दावा एवं इससे संबंधित ज.पत्र टी.आई. बैंक ऋण बसूली हेतु विवादित भूमियों की नीलामी हेतु जारी आदेश को क्लिंकि करने के उद्देश्य से उत्तर किये गये हैं। वकील चादी स्वगत आदेश की साद में बैंक ऋण बसूली हेतु जारी नीलामी आदेश में देरी का कारण चाह रहे हैं जो कि बैंक के हितों के विपरीत हैं।	Bhu 6/9/19

17/6/08  
28/7/08  
17/6/08  
20/6/16

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुआ

तारीख हुकम



उक्त राजकीय (बैंक) हितों के विपरीत उत्पन्न  
दावा स्वीकार किया जाने योग्य नहीं पाया  
जाने पर बैंक एतद मुक्ति प्रमाण पत्र के  
साथ नया दावा उत्पन्न करने की इजाजत  
द्वारा देकर दावा खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फेंसल शुमार लेकर नम्बर से कम हो  
तथा बाद तकमील दाखिल दफतर है। निर्णय  
पुस्तक न्यायालय में सुनाया गया।

*Jr*  
27.9.18  
(रणजीत सिंह) RAS  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला